10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(27)

न्यायाल श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

निगरानी-2801/2018/धार/भू.रा

1. पूना पिता मयला जाति भील
2. भवर पिता पूना जाति भील
3. अमरसिंह पिता मुन्ना जाति भील
4. कैलाश पिता पूना जाति भील

सभी निवासी ग्राम डाडूर तहसील सरदारपुर जिला धार म0प्र0

----- **प्रार्थीगण / निगरानीकर्ता**

बनाम

1. मनोहर पिता दिनदयाल
2. हरनाम पिता गोविन्द

दोनो निवासी ग्राम अमझेरा तह0 सरदारपुर जिला धार

---**विपक्षीगण**

25.4.18

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

माननीय महोदय,

सेवा में प्रार्थीगण / निगरानीकार्ता की और से न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय धार के प्रकरण कमांक 45 / अपील / 2015-16 आदेश दिनांक 07 / 03 / 2018 सूचना प्राप्त दिंनाक 12 / 03 / 2018 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर यह अपील अन्दर अवधि सादर पेश है :-

।। प्रकरण के तथ्य ।।

ग्राम डाडूर स्थित कृषि भूमि सर्वे नंबर नया 62 पुराना 65 रकबा 2.342 हे0 की राजस्व कागजता मे अपीलार्थी के पिता मयला के नाम से दर्ज थी जो सन् 1975 मे अपीलार्थी कमांक 1 के नाम हो गई उसके खिलाफ कार्यवाही नही होने से वरिष्ठ को शिकायत की गयी प्रकरण दर्ज हुआ तथा बगैर साक्ष्य सुनवाई के गैर आदिवासी के पक्ष में फैसला दिया गया जिसकी अपील माननीय न्यायालय मे पेश थी जो अस्वीकार की गयी। भूमि पूर्व में महिला के नाम से दर्ज थी जो सन् 1975 मे हरनामसिंह के नाम दर्ज हुई। कलेक्टर महोदय के यहा अपील प्रस्तुत की गयी जो अंतरित कर अपर कलेक्टर महोदय के यहा भेजी गई। प्रकरण में दिनांक 25 / 10 / 2017 को लिखित तर्क प्रस्तुत करने हेतु निर्देशीत किया गया था एवं प्रकरण आदेशार्थ दिनाक 17 / 11 / 2017 को रखा गया था। इस बीच कोई आदेश पारीत नही हुआ तथा अपीलार्थी /प्रार्थीगण को दिंनाक 04 / 03 / 2017 के आदेश बताते हुए दिंनाक 12 / 03 / 2018 को किये गये फैसले से अवगत कराया गया उसी आदेश के खिलाफ यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2801/18/धार/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-4-2019	पकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 30-5-2019 को सुनवाई हेतु आयुक्त के समक्ष उपस्थित हों । उभय पक्ष को सूचना दिया जाये । अध्यक्ष	